न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 03/2008 (104/2003)
प्रकरण दर्ज तिथि :— 05.11.2003
जीसीएमएस नम्बर :— 2006/00005

अनवान
बाबूलाल वगैरह बनाम चम्पालाल वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी
उपस्थित 1 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
2 प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला उपस्थित

आदेश **दिनांकः 22.04.2025**

प्रतिवादी गवरीदेवी की ओर से अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का पेश किया हैं, जो संलग्न पत्रावली किया गया, प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई । गवरी देवी की ओर से श्री जसवंत सिंह सांखला ने वकालतनामा मय दस्तावेज पेश किये हैं जो पत्रावली संलग्न किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रतिवादीगण गवरी पत्नी मांगीलाल जाति कलाल निवासी बर की ओर से निवेदन है कि वादीगण ने एक वादपत्र धारा 188,88 राज. काश्तकारी अधि. के तहत् प्रतिवादीगण के विरूद्व के वाद पेश किया है उक्त वाद मे वादी ने विवादित बेरे का नाम निमडीवाला बेरा व निमडी वाली जमीन बताकर पेश किया है जबकि उक्त विवादित भूमि पीवल है उसकी मूल किस्म बारानी अव्वल है। वादीगण क्लीन हैण्ड से नही आकर नही आकर केवल मात्र प्रतिवादी को हैरान करने मानसिक प्रभाव डालने के लिए झूठे तथ्य बताकर वाद पत्र पेश किया जो वादपत्र वार्ड वाई लॉ होने के काबिल खारीज योग्य है। उक्त वादपत्र के पेरा स. 04 के लाईन स. 6 मे बताया है कि वादीगण के पिता गुनजी के छोटे एंव नाबालिग थे जिस कारण उनका नाम दर्ज नही हुआ जबकि ग्राम बर मे अन्य जगह खसरा स. 406 व 448 मे वादी का नाम दर्ज है एंव इसी प्रकार ग्राम बिराटीया कलां के खसरा न. 1172 व 1201 मे वादी के पिता गुना का नाम दर्ज है वादी उस समय किसी प्रकार से नाबालिग नही था एंव वक्त सेटलमेन्ट के समय विवादित भूमि मे वादी के कब्जा काश्त नही था इस कारण राजस्व रेकार्ड मे उसका नाम अंकन नही किया गया और ना ही उक्त भूमि पुश्तैनी थी जिस कारण उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही बनता है अगर होता तो वादी के पिता द्वारा अपने हक कि मांग उसी समय कि जा चुकी होती परन्तु उनको यह पता था कि उक्त भूमि गंगाराम जी की भूमि है एंव उन्ही का कब्जा काश्त है। वर्तमान मे भी वादी का कब्जा का काश्त नही है इसलिए कभी उन्होने उक्त भूमि को लेंकर क्लेम नही किया है। इससे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

यह प्रतीत होता है कि वादीगण क्लीन हैण्ड से नही आकर केवल मात्र प्रतिवादी को हैरान करने मानसिक प्रभाव डालने के लिए झूठे तथ्य बताकर वाद पेश किया जो वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के काबिल खारीज योग्य है। उक्त भूमि पर पूर्व मे भी अकाल एंव अतिवृष्टि के समय केवल राजस्व लाभ व नुकसान की भरपाई गंगाराम जी को हीह मिलते आये है जिसकी पूर्ण जानकारी वादी के पिता को थी एंव वादीगण को भी है परन्तु उन्होने उक्त राजस्व लाभ व नुकसान की भरपाई पर कभी भी उजर ऐतराज नही किया एंव उक्त भूमि पर वादीगण के पिता का नाम सेटलमेन्ट से दर्ज नही है जिसका क्लेम उन्होने 2003 मे किया है जो लम्बी समयावधि गुजरने के बाद पेश किया है इसलिए उक्त वाद पत्र बार्ड बाई लॉ है इसलिए उक्त वादपत्र को भारी कोस्ट के साथ खारिज किया जाना आवश्यक है। वादीगण को पूर्ण जानकारी है कि गंगाराम जी के वारिशो द्वारा प्रतिवादी स. 1 से 4 को वेंचान कर दी गई परन्तु वादीगण के द्वारा रजिस्ट्री होने की जानकारी के बावजूद भी रजिस्ट्री निरस्त करवाने का वादपत्र पेश नही किया जबकि रजिस्ट्री आज दिनांक तक पावर मे है एंव माननीय न्यायालय को रजिस्ट्री खारिज करने का अधिकार नही है जब तक रजिस्ट्री पावर मे है तब तक वादीगण घोषणा पाने का अधिकारी नही हे वादीगण क्लीन हैण्ड से नही आकर केवल मात्र प्रतिवादी को हैरान करने मानसिक प्रभाव डालने के लिए झूठे तथ्य बताकर वाद पेश किया जो वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के काबिल खारीज योग्य है। उक्त वादपत्र मे वर्णित भूमि एंव वर्तमान राजस्व रेकार्ड का मिलान नही खाता है जिसकी पूर्ण जानकारी भी वादीगण को है परन्तु उन्होने आज दिनांक तक वर्तमान खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है एंव विवादित भूमि का कब्जे अनुसार बार बार बंटवाडे भी हो गए जिससे यह प्रतीत होंता है कि वादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है वादीगण शुरू से ही आउट आफ पजेशन मे है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने से एंव झूठे एंव मनगढत तथ्य बताकर वाद पेश किया जो वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के काबिल खारीज योग्य है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वादपत्र ते वादीगण झूठे वे फाल्स तथ्य बताकर वादपत्र पेश किया है जो विधि के विरूद्व है एंव निर्धारित समय सीमा मे नही है इसलिए उक्त वादपत्र. विधि विरूद्व होने से एंव समय सीमा मे नही होने से एंव समय सीमा मे नही होने से उक्त वादपत्र को भारी कोस्ट के साथ खारिज करवाने की कृपा करावे ।

प्रतिवादी अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पर अपना जबाव पेश नहीं करना चाहते हैं एवं बहस करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस वकुलाय समायत की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्रगत कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की ओर से वादपत्र में ऐसे कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किये हैं जिससे खातेदारी दी जा सकती हैं। वादीगण के पिता गुन्नजी के छोटे एंव नाबालिग थे जिस कारण उनका नाम दर्ज नही हुआ जबकि ग्राम बर मे अन्य जगह खसरा न. 406 व 448 मे वादी का नाम दर्ज है एंव इसी प्रकार ग्राम बिराटीया कलां के खसरा न. 1172 व 1201 मे वादी के पिता गुन्ना का नाम दर्ज है वादी उस समय किसी प्रकार से नाबालिग नही था एंव वक्त सेटलमेन्ट के समय विवादित भूमि मे वादी के कब्जा काश्त नही था इस कारण राजस्व रेकार्ड मे उसका नाम अंकन नही किया गया और ना ही उक्त भूमि पुश्तैनी थी जिस कारण उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही बनता है अगर होता तो वादी के पिता द्वारा अपने हक कि मांग उसी समय कि जा चुकी होती परन्तु उनको यह पता था कि उक्त भूमि गंगाराम जी की भूमि है एंव उन्ही का कब्जा काश्त है। वर्तमान मे भी वादी का कब्जा का काश्त नही है इसलिए कभी उन्होने उक्त भूमि को लेकर क्लेम नही किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण क्लीन हैण्ड से नही आकर केवल मात्र प्रतिवादी को हैरान करने मानसिक प्रभाव डालने के लिए झूठे तथ्य बताकर वाद पेश किया जो वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के काबिल खारीज योग्य है। वादीगण को पूर्ण जानकारी है कि गंगाराम जी के वारिशो द्वारा प्रतिवादी स. 1 से 4 को बेंचान कर दी गई परन्तु वादीगण के द्वारा रजिस्ट्री होने की जानकारी के बावजूद भी रजिस्ट्री निरस्त करवाने का वादपत्र पेश नही किया जबकि रजिस्ट्री आज दिनांक तक पावर मे है एंव माननीय न्यायालय को रजिस्ट्री खारिज करने का अधिकार नही है जब तक रजिस्ट्री पावर मे है तब तक वादीगण घोषणा पाने का अधिकारी नही है। वादीगण अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी में वर्तमान पक्षकार को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया हैं। वादीगण ने सेंटलमेन्ट से दावा दर्ज वर्ष 2003 तक कोई आपत्ति नहीं की हैं उक्त वादपत्र वर्ष 2003 में दर्ज हुआ हैं इसीलिए वादपत्र म्याद बाहर होने से काबिले खारिज योग्य हैं। उक्त वादपत्र मे वर्णित भूमि एंव वर्तमान राजस्व रेकार्ड का मिलान नही खाता है जिसकी पूर्ण जानकारी भी वादीगण को है परन्तु उन्होने आज दिनांक तक वर्तमान खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है एंव विवादित भूमि का कब्जे अनुसार बार बार बंटवाडे भी हो गए जिससे यह प्रतीत होंता है कि वादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है वादीगण शुरू से ही आउट आफ पजेशन मे है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने से एंव झूठे एंव मनगढत तथ्य बताकर वाद पेश किया जो वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के काबिल खारीज योग्य है हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जावें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि वादपत्र के वादग्रस्त आराजी में निमडीवाला बेरा व नीबडी वाली जमीन के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बागर)

जमीन मे वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 05 से 10 का 1/3 हिस्सा उपरोक्त जमीन में आता हैं, उपरोक्त हिस्से अनुसार उपरोक्त जमीन का उपयोग–उपभोग वक्त सेटलमेन्ट के पहले से उपरोक्त हिस्सेदारान करते रहे हैं। वादीगण के पिता स्वर्गीय गुनारामजी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता स्वर्गीय मांगीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 05 से 10 के पिता व दादा स्वर्गीय गंगारामजी तीनो सगे भाई थे, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय चुतरारामजी थे, स्वर्गीय चुतराराम के तीन पुत्र मंगाराम, गुनाराम, मांगीलाल थें। जिनमे से सबसे बडा पुत्र गंगाराम था, व गुनजी व मांगीलाल वक्त सेटलमेन्ट से सबसे छोटे व नाबालिग होने से सबसे बडे पुत्र गंगाराम अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया, लेकिन मौके पर वक्त सेटलमेन्ट के समय स्वर्गीय गंगाराम, स्वर्गीय गुनाराम व स्वर्गीय मांगीलाल तीनो संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होने के कारण सामिल ही एक ही परिवार में रहते थें। संयुक्त ही काश्त करते थें। वक्त सेटलमेन्ट के बाद आज से करीब 40–45 साल पहले उपरोक्त जमीन के तीन हिस्से किये जाकर 1/3 हिस्सा स्वर्गीय गंगारामजी, 1/3 हिस्सा गुनाराम व 1/3 हिस्सा मांगीलालजी का मौके पर मेडबंदी की जाकर अलग–अलग मौके पर जमीन का बंटवाडा किया गया। वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा की जमीन में काश्त करते थे। उक्त बेचाननामा व बंटवाडे वादपत्र पेश करने के बाद किये गये जो प्रभावशून्य हैं उक्त वादपत्र बार्ड बाई लॉ नहीं हैं इसीलिए प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट के साथ खारिज किया जावें।

उभयपक्ष बहस व दस्तावेजो व पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् उपरोक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से वादपत्र में ऐसे कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिससे वादीगण को खातेदार घोषित किया जा सकता हैं इसीलिए वादपत्र पेश करने का वादीगण का कोई कारण उत्पन्न नही होने से वादपत्र बार्ड बाई लॉ प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी गवरीदेवी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पोषणीय पाया जाने से स्वीकार किया जाता है एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

उक्त आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)